मथुरा पुलिस

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक 01.12.2025 प्रेस नोट थाना फरह।

थाना फरह पुलिस द्वारा पोल्ट्री फार्म से हजारों मुर्गे चोरी कर बेचने वाले 03 अभियुक्तगण को मुर्गे बिक्री के 4 लाख 12 हजार रुपयो के साथ किया गिरफ्तार।

थाना फरह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फरह पर पंजीकृत मु0अ0स0 448/2025 धारा 305ए बीएनएस की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण (1) (1)भोला पुत्र भदन सिंह निवासी गांव अरसैना थाना सिकन्दरा आगरा (2) मनोज पुत्र सुन्दर सिंह निवासी गाँव कोह थाना फरह मथुरा (3) लाखन सिंह पुत्र रुप सिंह निवासी गाँव शंकरपुर थाना फरह मथुरा को गोवर्धन नाला परखम पुलिया से गढी पचौरी रोड से मुर्गो बिक्री के 4 लाख 12 हजार रुपयो रूपयो के साथ किया गिरफ्तार। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग उपरोक्त में आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण---दिनांक 30.11.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना उपस्थित आकर एक तहरीर दी गयी कि वादी की कम्पनी शालीमार हैचरिज लिमिटेड की लाखन पुत्र रुप सिंह निवासी शंकरपुर थाना फरह मथुरा के साथ दिनांक 15.11.25 को एग्रीमेंट हुआ था जिसके अनुसार वादी की कम्पनी द्वारा लाखन व उसके पार्टनर भोला पुत्र अज्ञात निवासी अरसैना जनपद आगरा के पोल्ट्री फार्म शंकरपुर थाना फरह पर दिनांक 19/10/25 को मुर्गा बच्चा 8761 दिया था जिनमें से दिनांक 26.11.2025 को शेष मुर्गा बच्चा 8187 बचे थे क्योंकि 574 बच्चो की मृत्यु हो गयी थी परन्तु दिनांक 26/27.11.2025 की रात्रि में लाखन, भोला व मनोज ने मिलकर कुल मुर्गा संख्या 3696 जिनका बजन लगभग 6688 K.G. के बदनियती पोल्ट्री फार्म से चुराकर संतोष व शानू खान डीलर को बेंच दिये है उक्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 448/2025 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के क्रम में थाना फरह पुलिस द्वारा दिनांक 30.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर गोवर्धन नाला परखम पुलिया से गढी पचौरी रोड पर थाना क्षेत्र फरह मथुरा से अभियुक्तगण 1.भोला पुत्र बदन उर्फ भदन सिंह निवासी गांव अरसैना थाना सिकन्दरा आगरा (2) मनोज पुत्र सुन्दर सिंह निवासी गाँव कोह थाना फरह मथुरा (3) लाखन सिंह पुत्र रुप सिंह निवासी गाँव शंकरपुर थाना फरह मथुरा को मुर्गा बिक्री के 4 लाख 12 हजार रुपयो के साथ किया गिरफ्तार। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि शानू को 2 गाडी मुर्गे बेचने के बदले 3,90,000 रुपये तथा सन्तोष को एक गाडी मुर्गे बेचने के बदले 2,62,000 रुपये कुल 6,52,000 रुपये मिले थे जिसमें से भोला ने प्राप्त रुपयों मे से 70,000/- रुपये अपने पुत्र के एडमीशन हेतु जयपुर राजस्थान में D.K. स्पोर्ट एकेडमी में क्रिकेट सीखने के लिये जमा कराये व 20,000/- रुपये गाडियों की भराई करने वाले मजदूरों को दिये गये थे तथा 60,000 रुपये दिल्ली व राजस्थान (जयपुर , खाटू श्याम , बालाजी आदि) घूमने व शोपिंग करने में खर्च कर दिये तथा 90,000/- रुपये मनोज ने अपनी उधारी के एक किसान को दे दिये तथा शेष बचे रुपये 4,12,000 रुपये बरामद।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता--

1.भोला पुत्र भदन सिंह निवासी गांव अरसैना थाना सिकन्दरा आगरा उम्र करीब 36 वर्ष।

2. मनोज पुत्र सुन्दर सिंह निवासी गाँव कोह थाना फरह मथुरा उम्र करीब 25 वर्ष।

3. लाखन सिंह पुत्र रुप सिंह निवासी गाँव शंकरपुर थाना फरह मथुरा उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

गोवर्धन नाला परखम पुलिया से गढी पचौरी रोड, दिनांक 30.11.2025 समय 23.05 बजे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त भोला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण--

1.मु0अ0सं0 257/2022 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 थाना फरह जनपद मथुरा।

2.मु0अ0सं0 10/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फरह जनपद मथुरा।

3.मु0अ0सं0 448/2025 धारा 305ए/317(2)/331(3) थाना फरह जनपद मथुरा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मनोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण--

1.मु0अ0सं0 81/2022 धारा 147/148/149/307/323/325/336/504/506 भादवि व 7 CLA एक्ट थाना फरह जनपद मथुरा।

2.मु0अ0सं0 265/2022 धारा 147/148/149/307/323/326/504/506 भादवि व 7 CLA एक्ट थाना फरह जनपद मथुरा।

3.मु0अ0सं0 448/2025 धारा 305ए/317(2)/331(3) बीएनएस थाना फरह जनपद मथुरा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण---

04 लाख 12 हजार रूपये।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण--

1.प्र0नि0 त्रिलोकी सिंह थाना फरह मथुरा जनपद मथुरा।

2.उ0नि0 किरणपाल सिंह थाना फरह जनपद मथुरा।

3.उ0नि0 अजय सिंह मलिक थाना फरह जनपद मथुरा।

4.उ0नि0 तेजेन्द्र सिंह थाना फरह जनपद मथुरा।

5.है0का0 1894 पंकज कुमार थाना फरह जनपद मथुरा।

6.है0का0 223 अजयपाल सिंह थाना फरह जनपद मथुरा।